(16)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 641—एक/2017 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 24.01.2017 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 113/अपील/2016—17.

.....

अब्दुल रहीम पुत्र अहमद
निवासी बालापुरा जिला
श्योपुर म0 प्र0

———आवेदक

विरूद्ध

1—अब्दुल हफीज पुत्र अब्दुल रहीम
2—अब्दुल्ला पुत्र अहमद
3—फातिमा पुत्र अहमद
4—एमना पुत्री अहमद
समस्त निवासी बालापुरा
जिला श्योपुर म0 प्र0

———अनावेदकगण

श्री आर0 डी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा, अभिभाषक, अना0—1
श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, अना0 2,3,4

.....

आदेश

(आज दिनांक 18/4/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.01.2017 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2–प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि कस्बा श्योपुर में स्थित भूमि सर्वे कमांक 627, 512, 513, 517, 625 एवं 629 कुल किता 6 कुल रकबा 15 बीघा 12 विसवा एवं ग्राम कलारना में स्थित भूमि सर्वे कमांक 44 रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा ग्राम बर्धाबुर्जग में स्थित भूमि सर्वे कमांक 319 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा भूमि आवेदक के पिता की पैत्रिक भूमियां थीं। उपर्युक्त भूमियों का आवेदक एवं अनावेदकगण के मध्य आपसी घरू विभाजन अनुसार तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 10/अ–27/1989–90 में पारित आदेश दिनांक 11.01.91 द्वारा आपसी सहमति से हुये बटवारा आदेश पारित किया गया। आवेदक के भाई बन्दो ने एक सिविल वाद व्यवहार न्यायालय में प्रस्तुत किया। इस सिविल वाद में आवेदक के पुत्र अब्दुल हफीज को भी पक्षकार बनाया गया। व्यवहार न्यायालय द्वारा प्रकरंण कमांक 166/90 ए.इ.दी में आवेदक को एवं उसके भाई अब्दुला वगैराह का राजीनाम दिनांक 08.08.1990 को हो गया था, उक्त सिविल न्यायालय की डिक्री में आवेदक व उसके भाई अब्दुला वगैरह को 1/2 का मालिक माना है। अनावेदक कमांक–1 आवेदक के पुत्र अब्दुल हफीज द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो प्रकरण कमांक 72/अपील/2009–10 पर दर्ज हुई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 11.01.1991 निरस्त कर बटवारा स्वीकार किया गया। जिससे दुखित होकर अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई जो प्रकरण कमांक 113/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 24.1.17 द्वारा अवधि बाह्य मानते हुये निरस्त की गई इसी से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि विचारण न्यायालय के समक्ष आपसी घरू विभाजन स्वीकार किया गया था विद्वान अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आपसी सहमति के आधार पर किया गया विभाजन आदेश को लगभग 19 वर्ष पश्चात अत्यधिक विलंबित एवं अक्षम अपील में निरस्त किया गया जो न्याय के सिद्वांतो के विपरीत है एवं अपर आयुक्त द्वारा आवेदक के विधि बिन्दुओं पर विचार न कर वैधानिक त्रुटि की गई है जो अपास्त किये जाने योग्य है। अनावेदक कमांक–1 आवेदक का पुत्र है जबकि बटवारा आवेदक एवं उसके भाईयों के मध्य

आपसी घरू बटवारा अनुसार हुआ था इस कारण उपर्युक्त भूमियों में अनावेदक कमांक–1 का कोई स्वत्व नहीं था। तर्क में यह भी कहा गया है कि अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील लंबित रहने के दौरान पक्षकारों की मृत्यु हो गई थी। मृत व्यक्तियों के खिलाफ आदेश पारित किया गया ऐसी अपील उपसमिति हो गई थी। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना का आदेश दिनांक 24.1.17 एवं अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 10.6.16 अपास्त कर विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 11.1.91 स्थिर रखते हुये निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया गया है।

4–अनावेदक कमांक–1 के अधिवक्ता द्वारा अपनी लेखी बहस प्रस्तुत की गई है। लेखी बहस में लेख किया गया है कि उक्त बटवारे के प्रकरण में कस्बा श्योपुर की भूमि सर्वे कमांक 512 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा जिसके संबध में माननीय न्यायालय प्रथम सिविल जज वर्ग–2 श्योपुर के प्रकरण कमांक 166/90 इ.दी. में पारित आदेश दिनांक 8.8.90 से 1/2 अंश पर अनावेदक कमांक–1 अब्दुल हफीज को भूमि स्वामी घोषित किया था। उक्त बंटवारे में प्रकरण में अनावेदक कमांक–1 अब्दुल हफीज को विचारण न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया जिससे उसे सुनवाई का अवसर प्राप्त न होने के कारण अपना पक्ष नहीं रख पाया। आवेदक अब्दुल रहीम द्वारा माननीय न्यायालय प्रथम सिविल जज वर्ग–2 श्योपुर के प्रकरण कमांक 166/90 इ.दी में पारित आदेश दिनांक 8.8.90 को छिपाकर तथा अनावेदक कमांक–1 अब्दुल हफीज को पक्षकार न बनाते हुये विचारण न्यायालय में आलोच्य आदेश दिनांक 11.1.91 पारित कराया जबकि सिविल न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालय में बंधनकारी है। लिखित तर्क में यह भी लेख किया गया है कि विचारण न्यायालय ने अपने आलोच्य आदेश दिनांक 11.1.912 द्वारा नहीं दिया अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर ने अपने आदेश दिनांक 10.6.16 में स्पष्ट कहा है कि मैने सिविल वाद कमांक 166ए/90 की आदेश पत्रिका दिनांक 11.7.90 एवं 8.8.90 की छाया पति के अवलोकन से पाया कि उक्त सिविल वाद अब्दुल एवं महमूद के मध्य थां आदेश पत्रिका दिनांक 8.8.90 के अवलाकन से पाया कि महमूद स्वयं उपस्थित था। वादी एवं प्रतिवादी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि बाहमी राजीनामा हो गया है प्रतिवादी ने वादी

के स्वत्व एवं कब्जे को स्वीकार कर लिया है। सर्वे कमांक 512 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा पर 1/2 हिस्सा अर्थात 2 बीघा 11 विस्वा का स्वामी अब्दुल हफीज को स्वीकार किया। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया है कि अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना एवं अनुविभागीय अधिकारी का आदेश उचित एवं सही होने के कारण स्थिर रखते हुये आवेदक की निगरानी निरस्त करने का निवेदन कियार गया है।

5–आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। उनके द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो निगरानी मेमों में तथ्य अंकित किये गये है। अनावेदक–1 के अधिवक्ता की लेखी बहस का अध्ययन किया। अनावेदक कमांक 2, 3, 4 के अधिवक्ता के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न अभिलेख का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि कस्बा श्योपुर में स्थित भूमि सर्वे कमांक 627, 512, 513, 517, 625 एवं 629 कुल किता 6 कुल रकबा 15 बीघा 12 विसवा एवं ग्राम कलारना में स्थित भूमि सर्वे कमांक 44 रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा ग्राम बर्धाबुर्जग में स्थित भूमि सर्वे कमांक 319 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा भूमि आवेदक के पिता की पैत्रिक भूमियां थीं। उपर्युक्त भूमियों का आवेदक एवं अनावेदकगण के मध्य आपसी घरू विभाजन अनुसार तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 10/अ–27/1989–90 में पारित आदेश दिनांक 11.01.91 द्वारा आपसी सहमति से हुये बटवारा आदेश पारित किया गया। मुख्य तथ्य यह है कि तहसीलदार द्वारा दिनांक 11.1.91 को बटवारा आदेश पारित किया है जबकि माननीय न्यायालय प्रथम सिविल जज वर्ग–2 श्योपुर के प्रकरण कमांक 166/90 इ.दी. में पारित आदेश दिनांक 8.8.90 से 1/2 अंश पर अनावेदक कमांक–1 अब्दुल हफीज को भूमि स्वामी घोषित किया था। इससे यह प्रतीत होता है कि विचारण न्यायालय में बटवारा करते समय माननीय सिविल न्यायालय का आदेश दिनांक 8.8.90 छिपाया गया है यदि यह आदेश विचारण न्यायालय के ध्यान में होता तो शायद ही इस आदेश का अनदेखा नहीं करते, क्यों कि राजस्व न्यायालय पर माननीय सिविल न्यायालय का आदेश बंधनकारी है।

6–अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश को निरस्त किया जाकर माननीय सिविल न्यायालय के आदेश दिनांक 8.8.90 का सम्मान करते हुये अनावेदक कमांक–1 की

अपील स्वीकार कर मौजा श्योपुर की भूमि सर्वे कमांक 512 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा में से 2 बीघा 11 विस्वा का नामांतरण बटवारा स्वीकार किया है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

7–उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 113/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 24.1.17 एवं अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर का प्रकरण कमांक 72/अपील/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 10.6.16 उचित होने से स्थिर रखे जाते है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी बलहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर